HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17126/2026
CNR: RJHC021043012026 | URN: CRLMB / 31561U / 2026

Shivram Meena S/o Ramswaroop Meena, Aged About 58 Years, R/o Village Pawata, Tehsil Kathumar, District Alwar, (Raj.) Currently Assistant Engineer, Office Of Panchayat Samiti Kathumar, District Alwar, (Raj.) (At Present Accused Confined In Central Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pankaj Gupta Mr. Saurabh Yadav Mr. Harshit Bhatt Ms. Shruti Dave
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना सीपीएस जयपुर, एसीबी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 269/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) व धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी पंचायत समिति में एईएन के पद पर था तथा उस पर यह आक्षेप है कि उसने परिवादी के कार्य का बिल पारित करने के एवज में 25,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त की है। उनका तर्क है कि प्रार्थी का कार्य एम.बी. सत्यापित करने का था और वह उस पर पहले ही हस्ताक्षर कर चुका था, इसलिए प्रार्थी के पास परिवादी का कोई कार्य लम्बित ही नहीं था। प्रार्थी

दिनांक 22.09.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। सहअभियुक्ता मिन्ना खान जेईएन थी, उस पर 10,000 रूपये लेने का आक्षेप है और वह महिला थी, जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी से अब किसी प्रकार के अन्वेषण की आवश्यकता नहीं है और न ही प्रार्थी को अभिरक्षा में रखने से किसी उद्धेश्य की पूर्ति होगी। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी ने एईएन के पद पर रहते हुए परिवादी के कार्य का बिल पारित कराने के एवज में रिश्वत मांगी और वह 25,000 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। प्रार्थी से राशि की बरामदगी हुई है। प्रार्थी द्वारा रिश्वत की मांग करने का अनुलेखन (transcription) भी पत्रावली पर मौजूद है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर अपराधों का अभियोग है। अतः अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। सहअभियुक्ता मिन्ना खान जो जेईएन थी, उस पर 10,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करने का आक्षेप है, जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रार्थी से अब किसी प्रकार के अन्वेषण की आवश्यकता होना नहीं बताया गया है। प्रार्थी दिनांक 22.09.2026 से अभिरक्षा में है तथा उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण संस्थित नहीं है। प्रकरण के अन्वेषण व अन्वीक्षा में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास

हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

(SHUBHA MEHTA),J

70/VISHAL SHARMA